निकायों के प्रकाशन और आय-व्यय को नियंत्रित करने के लिये सरकार का विचार कोई विधेयक पेश करने का नहीं है। किन्तु वह इस सुझाव की जांच कर रही है कि केवल उन निकायों पर वित्तीय नियन्त्रण लगाने और उनके कार्यों का नियमन करने के लिये विधेयक पेश किया जाय जिनकी स्थापना संकल्पों अथवा दूसरे एक्जीक्यूटिव आदेशों पर सरकार द्वारा की जाती है और जिन्हें सरकार से सहायता अनुदान मिलता है।

(ख) मामला अभी विचाराधीन है और संबंधित मंत्रालयों से परामर्श किया जा रहा है। इस समय यह बता सकना सम्भव नहीं है कि संसद् में विधेयक कब तक पेश किया जा सकेगा।

(ग) और (घ). जैसा कि ऊपर भाग (क) में कहा जा चुका है, प्रस्तावित विधेयक केवल उन्हीं निकायों/संस्थाओं तक सीमित रहेगा जिनकी स्थापना सरकार के संकल्पों अथवा दूसरे एक्जीक्यूटिव आदेशों पर की गई है तथा जिन्हें सरकार से सहायता अनुदान मिलता है। उन अन्य स्वायत्त/अर्द्ध-स्वायत्त निकायों को इस विधेयक के क्षेत्र में लाने का विचार नहीं है जो सरकार के नियन्त्रण में न होकर स्वतन्त्र रूप से कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिये कोई खास विधेयक बनाने की आवश्यकता नहीं रह जाती।

रोजगार ढूंढने वालों की आयु सीमा

६६८. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे व्यक्तियों के बारे में सरकार क्या नीति निश्चित करना चाहती है जो रोजगार दफ्तरों में जाते जाते सरकारी नौकरी पाने की निश्चित आयु सीमा को पार कर जाते हैं ; और

(ख) क्या सरकार ऐसे लोगों के लिये कोई खास प्रशिक्षण योजना चालू करना चाहती है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): (क) और (ख). ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरियों में नहीं लिये जा सकते लेकिन वे उन क्षेत्रों में नौकरियां खोज सकते हैं जिनमें आयु सीमा निश्चित नहीं है। ऐसे उम्मीदवारों के प्रशिक्षण के लिए कोई खास सहूलियतें नहीं हैं। अगर वे योग्य हैं तो मौजूदा प्रशिक्षण केन्द्रों में भर्ती हो सकते हैं

कर्मचारी भविष्य निधि योजना

६६९. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी भविष्य निधि योजना १९५२ के अधीन मकान की जगह या मकान खरीदने अथवा बनाने के लिये इस साल कितने रुपये की व्यवस्था की गई है ; और

(ख) इस रकम में से अब तक कितनी धनराशि दी जा चुकी है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आदिम अली) : (क) कर्मचारी प्रोविडेंट फंड योजना १९५२ के अधीन चन्दा देने वालों को इन कामों के वास्ते अग्रिम रक़म की मंजूरी के लिये धन की अलग से व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं है। सदस्यों के प्रोविडेंट फंड में जमा धन से अग्रिम रक़में अदा की जाती हैं।

(ख) जून १९६१ तक ७ लाख ५७ हज़ार रुपये इस प्रकार अग्रिम रक़मों के रूप में मंजूर किये गये।